सचिका स0–7 / प्र०स्वी०–44–02 / 2021 – . 302 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।**

पटना, दिनाक– 19 / 12 / 2024

विषय:– **राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के राजेन्द्र नगर स्थित हरवेरियम परिसर में 110 बेड के बालिका छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 8,82,38,000 /– (रुपये आठ करोड़ बेरासी लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवशेष कुल राशि रू० 4,82,38,000 /–(रुपये चार करोड़ बेरासी लाख अड़तीस हजार) मात्र की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के राजेन्द्र नगर स्थित हरवेरियम परिसर मे 110 बेड के बालिका छात्रावास का निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक–8578, दिनाक–02.02 2021 से तकनीकी अनुमोदित प्राप्त प्राक्कलन, के आधार पर कुल रु० 8,82,38,000 /– (रुपये आठ करोड बेरासी लाख अडतीस हजार) मात्र की योजना तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें अतिरिक्त भूखड के साथ पुराने भवन को Demolish करते हुए नये भवन (G+5) का निर्माण किया जाना है।

2– योजना का प्राक्कलन CPWD Plinth Area Rate 2020 के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल भवन के निर्माण के अतिरिक्त Fire Fighting, Fire Alam, Lift, Water Tank and Furniture आदि का प्रावधान किया गया है। निगम (BMSICL) से प्राप्त उक्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 मे विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–233(7), दिनाक–20.12.2021 के द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए रु० 8,82,38,000 /– (रुपये आठ करोड बेरासी लाख अडतीस हजार) के व्यय की स्वीकृति दी गयी थी, जिसकी तकनीकी कारणो से निकासी नहीं की जा सकी थी।

3– अतएव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के राजेन्द्र नगर स्थित हरवेरियम परिसर में 110 बेड के बालिका छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 8,82,38,000 /– (रुपये आठ करोड बेरासी लाख अडतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय पत्रांक–205(7), दिनाक–31.08.2023 द्वारा रु० 2,60,00,000 /–(रुपये दो करोड साठ लाख) मात्र तथा विभागीय पत्रांक–527(7), दिनांक–23 02 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 मे द्वितीय किस्त के रूप मे रू० 1,40,00,000 /–(रुपये एक करोड चालीस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे अवशेष कुल राशि रू० 4,82,38,000 /–(रुपये चार करोड बेरासी लाख अडतीस हजार) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–233(7), दिनाक–20.12 2021 में निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

5– इस राशि के व्यय का वहन माग संख्या 20 अन्तर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–02 शहरी स्वास्थ्य सेवाए–अन्य चिकित्सा पद्धतियां–200 अन्य पद्धतियां– 0103– प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों एव औषधालयो का विकास, विपत्र कोड–2210022000103, विषय शीर्ष (31 05) सहायक अनुदान–परिसम्पतियों का निमार्ण अन्तर्गत उपबंधित राशि / पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-844800110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------- मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06 एव 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 2199/वि0, दिनाक–24.03 2017 एव 3758/वि0, दिनांक–31.05 2017 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/प्र०स्वी०– 44–02/2021 के पृष्ठ– ../टि0 पर प्राप्त है ।

12– प्रस्ताव एवं प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13– सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19.12.24

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव
Kunal

ज्ञापाक–7/प्र०स्वी०–44–02/2021– 302 (7) /रवा0, पटना, दिनाक– 19/12/2024

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/कार्यपालक निदेशक राज्य आयुष समिति, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद)/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव सबधित को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित ।

19.12.24.

सरकार के अपर सचिव
Kunal